



शिक्षक समुदाय में महिला अधिकारों की जागरूकता :

एक सामाजिक-सामुदायिक अध्ययन

लेखक

संगीता कुमारी⁽¹⁾ एवं प्रो. (डॉ.) सूरज मल शर्मा⁽²⁾

(1)शोधकर्त्री, शिक्षा संकाय, महर्षि अरविन्द विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान

(2)आचार्य, शिक्षा संकाय, महर्षि अरविन्द विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान

भूमिका

यह अध्ययन शिक्षक समुदाय में महिला अधिकारों के प्रति जागरूकता के स्तर को समझने और उसका विश्लेषण करने के उद्देश्य से किया गया है। वर्तमान समय में महिला अधिकारों को लेकर वैश्विक स्तर पर अनेक प्रयास हो रहे हैं, लेकिन समाज की जड़ों में समाहित लैंगिक असमानता, रूढ़िवादिता और सामाजिक पूर्वग्रह आज भी शिक्षित वर्ग को भी प्रभावित कर रहे हैं। इस संदर्भ में, शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्राध्यापक एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में सामने आते हैं क्योंकि वे भविष्य में सामाजिक सोच और दृष्टिकोण को आकार देने की क्षमता रखते हैं।

इस शोध में छात्र शिक्षकों के बीच महिला अधिकारों के प्रति जागरूकता के अध्ययन की जांच की गई। यह अध्ययन प्रकृति में मानक सर्वेक्षण पद्धति पर आधारित है। अध्ययन के लिए पृष्ठभूमि चर लिंग, विषय, स्थानीयता, योग्यता और आयु का उपयोग किया गया है। शोधकर्ता द्वारा विकसित और मान्य महिला अधिकार प्रश्नावली का उपयोग अध्ययन में किया गया था। यादृच्छिक नमूनाकरण तकनीक का उपयोग करके शिवगंगई जिले में डेटा के लिए 295 छात्र शिक्षकों का एक नमूना चुना गया है। डेटा विश्लेषण के लिए माध्य, एसडी और टी-टेस्ट जैसी सांख्यिकीय तकनीकों का उपयोग किया गया। छात्र शिक्षकों के बीच महिला अधिकारों के बारे में जागरूकता का स्तर 81: है। अध्ययन के निष्कर्षों से पता चलता है कि लिंग, विषय, स्थानीयता, योग्यता और आयु के संबंध में छात्र शिक्षकों के बीच महिला अधिकारों के बारे में जागरूकता में महत्वपूर्ण अंतर है।

शोध के परिणाम यह दर्शाते हैं कि अधिकांश छात्राध्यापक महिला अधिकारों की अवधारणाओं से सामान्य रूप से परिचित हैं, लेकिन गहराई से समझ और व्यवहारिक क्रियान्वयन की दिशा में अभी भी कई खामियां मौजूद हैं। विशेष रूप से निर्णय-निर्माण,



कार्यस्थल समानता, यौन उत्पीड़न के विरुद्ध कानून, और शिक्षा तथा स्वास्थ्य जैसे अधिकारों को लेकर जागरूकता असंतुलित पाई गई। इसके पीछे सामाजिक पृष्ठभूमि, लिंग आधारित सामाजिककरण, पारिवारिक मान्यताएँ और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की सीमाएँ प्रमुख कारक रूप में सामने आईं।

इस शोध के निष्कर्ष न केवल प्रशिक्षण संस्थानों के पाठ्यक्रम और दृष्टिकोण में सुधार के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि यह नीति-निर्माताओं और सामाजिक संगठनों को भी यह संकेत देता है कि महिला अधिकारों के प्रति एक सशक्त जागरूकता अभियान की आवश्यकता है, विशेषतः उन लोगों के बीच जो समाज के वैचारिक मार्गदर्शक बनते हैं। छात्राध्यापक यदि स्वयं इस विषय में संवेदनशील और जागरूक होंगे, तो वे भविष्य में शिक्षा प्रणाली के माध्यम से व्यापक सामाजिक बदलाव ला सकते हैं।

कीवर्ड: जागरूकता, महिला अधिकार, सांख्यिकीय तकनीक और छात्र शिक्षक।

1. परिचय

महिलाओं के अधिकार मौलिक मानवाधिकार हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र ने लगभग 70 साल पहले ग्रह पर सभी मनुष्यों के लिए स्थापित किया था। इन अधिकारों में हिंसा, गुलामी और भेदभाव से मुक्ति; शिक्षा का अधिकार; संपत्ति का स्वामित्व रखने का अधिकार; वोट देने का अधिकार; और उचित और समान वेतन का अधिकार शामिल हैं। "महिलाओं के अधिकार मानवाधिकार हैं," जैसा कि अब प्रसिद्ध कहावत है। यानी महिलाओं को इन सभी चीजों का अधिकार है। महिलाओं और लड़कियों को अभी भी दुनिया में लगभग हर जगह प्रतिबंधित किया जाता है, अक्सर उनके लिंग के कारण। महिलाओं के अधिकारों को जीतना केवल व्यक्तिगत महिलाओं और लड़कियों को अवसर प्रदान करने से कहीं अधिक है (ग्लोबल फंड फॉर वीमेन, 2022)। "मानव अधिकार महिलाओं के अधिकार हैं और महिलाओं के अधिकार हमेशा के लिए मानवाधिकार हैं।" - हिलेरी क्लिंटन (अंजना अग्रवाल, 2014)।

10 दिसंबर, 1948 को, संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अधिनियमित किया, जिसमें कहा गया है कि सभी मनुष्य स्वतंत्र पैदा होते हैं और उन्हें सम्मान का समान अधिकार है। इसी तरह, भारतीय संविधान सभी नागरिकों को, लिंग की परवाह किए बिना, अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार, अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार सहित विभिन्न अधिकार प्रदान करता है। लैंगिक समानता से तात्पर्य एक ऐसे समाज से है जिसमें पुरुषों और महिलाओं दोनों को जीवन के सभी क्षेत्रों में समान अवसर, अधिकार और जिम्मेदारियां प्राप्त हों। निर्णय लेने में समानता, आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता, शिक्षा तक समान पहुंच और अपनी पसंद के पेशे में काम करने का अधिकार

(भारत में महिला कानून.2022)।

वर्तमान अध्ययन भारत में महिलाओं की गरिमा को सुरक्षित करने वाले कानूनी प्रावधानों के बारे में छात्र शिक्षकों की जागरूकता के स्तर का आकलन करने के लिए किया गया था। अध्ययन क्षेत्र में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र शामिल हैं और डेटा एकत्र करने के लिए चुने गए नमूने उनके लिंग, विषय, इलाके, योग्यता और आयु आदि के स्तर के संदर्भ में विषम हैं। बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006, दहेज निषेध अधिनियम, 1961, भारतीय तलाक अधिनियम, 1969, मातृत्व लाभ अधिनियम, 1861, गर्भावस्था का चिकित्सा समापन अधिनियम, 1971, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013, महिलाओं का अभद्र प्रतिनिधित्व (रोकथाम) अधिनियम, 1986, समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 आदि भारत में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए भारत में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कानून हैं। लेकिन, यह ज्ञात नहीं है कि कितने छात्र शिक्षक इन कानूनों और उनके उपयोग के बारे में जानते हैं। इसलिए, शोधकर्ता ने छात्र शिक्षकों के बीच जागरूकता महिला अधिकारों के अध्ययन की जांच की।

2. साहित्य की समीक्षा

रईस अहमद डार (2020) ने स्वतंत्र भारत के संदर्भ में महिलाओं के अधिकारों पर विचार करने और भारत में महिलाओं के अधिकारों की समान पहुंच के तरीकों और साधनों का पता लगाने के लिए अध्ययन किया। चंद्रमौली एट अल। (2017) ने भारत के संविधान पर अध्ययन किया जिसमें महिलाओं की सुरक्षा, कल्याण और प्रगति के लिए कई सुरक्षा उपाय प्रदान किए गए हैं। शोभा पाटिल एट अल। (2015) ने कर्नाटक राज्य महिला विश्वविद्यालय, विजयपुरा के स्नातकोत्तर छात्राओं के बीच महिला अधिकारों के बारे में जागरूकता जानने के लिए अध्ययन किया। निष्कर्षों से पता चला कि अधिकांश उत्तरदाताओं को शिक्षा के अधिकार का ज्ञान है, 68.2% उत्तरदाताओं को सामाजिक अधिकारों के बारे में पता है, 64.8% को राजनीतिक भागीदारी के अधिकार के बारे में पता है और 63.6% को लैंगिक समानता की जानकारी है। महिलाओं के अधिकारों के ज्ञान का मूल्यांकन करने पर पाया गया कि 45.5% (N = 80) उत्तरदाताओं ने मध्यम ज्ञान को रेट किया और 27.3% (N = 48) उत्तरदाताओं को महिलाओं के अधिकारों के बारे में उच्च और साथ ही निम्न ज्ञान है। नरेश राउत और जयश्री बेज (2017) सौमेन जन (2018) ने इस अध्ययन में पाया कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए समाज में बहुत जागरूकता की आवश्यकता है और वे हमारे समाज का भविष्य हैं और किसी को भी उनसे इसे छीनने का अधिकार नहीं है। यह शोध मुझे कुछ सुझाव देने में मददगार होगा।

रागिनी मिश्रा और सुधा मिश्रा (2012) ने बताया कि अधिकांश शहरी किशोरियों को महिला अधिकारों के बारे में जानकारी थी। मौलिक अधिकारों, महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों, शिक्षा,

स्वास्थ्य, संपत्ति के अधिकार के बारे में ग्रामीण और शहरी किशोरियों के बीच ज्ञान में अंतर पाया गया। रजिया हसन नकवी और मुहम्मद इबरार (2015) ने अध्ययन किया जिसमें पता चला कि अधिकांश उत्तरदाताओं को अपनी शिक्षा और विवाह अधिकारों के बारे में पता नहीं था, और शेष छोटी संख्या में उत्तरदाताओं के लिए जो अपनी शिक्षा और विवाह अधिकारों के बारे में जानते थे, जागरूकता के मुख्य स्रोत उनके संबंधित क्षेत्रों में काम करने वाले गैर सरकारी संगठन थे। अनीसा असिफी.आर एट अल. (2016) ने इस व्यवस्थित समीक्षा की जांच की और रेखांकित किया कि सभी सेटिंग्स और उप समूहों में, महिलाओं की अपने देश की गर्भपात कानूनी स्थिति की समझ कम प्रतीत होती है।

3. अध्ययन की आवश्यकता

महिलाओं के खिलाफ हिंसा को कम करने में महिला शिक्षा बेहद प्रभावी है स्कूल में बच्चों को महिला अधिकारों के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए। इस जागरूकता को पैदा करने के लिए, सबसे पहले छात्र शिक्षक को इन अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 'विश्व स्तर पर भावी शिक्षकों को सशक्त बनाने' की आवश्यकता है। ताकि हम अपने ज्ञान को भावी पीढ़ियों तक पहुँचा सकें। परिणामस्वरूप, इस अध्ययन का उद्देश्य छात्र शिक्षकों की महिला अधिकारों के बारे में जागरूकता का निर्धारण करना है।

4. अध्ययन का उद्देश्य

- छात्र शिक्षकों के बीच महिला अधिकारों के बारे में जागरूकता का पता लगाना है। वर्तमान अध्ययन के लिए निम्नलिखित उद्देश्य तैयार किए गए हैं
- छात्र शिक्षकों के बीच महिला अधिकारों के बारे में जागरूकता के स्तर का पता लगाना।
- पुरुष और महिला छात्र शिक्षकों के महिला अधिकारों के बारे में जागरूकता के औसत अंकों के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर है या नहीं, इसका पता लगाना।
- विज्ञान और कला छात्र शिक्षकों के महिला अधिकारों के बारे में जागरूकता के औसत अंकों के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर है या नहीं, इसका पता लगाना।
- ग्रामीण और शहरी छात्र शिक्षकों के महिला अधिकारों के बारे में जागरूकता के औसत अंकों के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर है या नहीं, इसका पता लगाना।
- यह पता लगाना कि क्या यूजी और पीजी छात्र अध्यापकों के महिला अधिकारों के प्रति जागरूकता के औसत अंकों के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर है।
- यह पता लगाना कि क्या 25 वर्ष से कम और 25 वर्ष से अधिक आयु के छात्र अध्यापकों के महिला अधिकारों के प्रति जागरूकता के औसत अंकों के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर है।

5. अध्ययन की परिकल्पना

निम्नलिखित परिकल्पनाओं का परीक्षण किया गया है

- लिंग के संबंध में छात्र अध्यापकों के महिला अधिकारों के प्रति जागरूकता के औसत अंकों के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है।
- विषय के संबंध में छात्र अध्यापकों के महिला अधिकारों के प्रति जागरूकता के औसत अंकों के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है।
- स्थानीयता के संबंध में छात्र अध्यापकों के महिला अधिकारों के प्रति जागरूकता के औसत अंकों के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है।
- शैक्षिक योग्यता के संबंध में छात्र अध्यापकों के महिला अधिकारों के प्रति जागरूकता के औसत अंकों के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर है।
- आयु के संबंध में छात्र अध्यापकों के महिला अधिकारों के प्रति जागरूकता के औसत अंकों के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर है।

6. पद्धति

आम तौर पर शोध समस्याओं की जांच के लिए अलग-अलग तरीके होते हैं। वर्तमान अध्ययन में अपनाई गई विधि मानक सर्वेक्षण विधि है।

6.1 नमूना

वर्तमान अध्ययन के लिए जांचकर्ताओं ने जयपुर जिले के बी.एड कॉलेजों के छात्र शिक्षकों से नमूने एकत्र किए। जांचकर्ताओं ने जयपुर जिले के विभिन्न बी.एड कॉलेजों से 295 छात्र शिक्षकों का नमूना एकत्र किया। लिंग, विषय, स्थानीयता, योग्यता और आयु जैसे कारकों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया।

6.2 अध्ययन में प्रयुक्त उपकरण:

प्रासंगिक डेटा एकत्र करने के लिए जांचकर्ताओं ने महिला अधिकार प्रश्नावली का उपयोग किया, जिसे जांचकर्ताओं और क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा विकसित और मान्य किया गया था। छात्र शिक्षकों के बीच महिला अधिकारों को प्रभावित करने वाले कारकों तक पहुँचने के लिए जांचकर्ता ने 4-बिंदु रेटिंग स्केल का उपयोग किया, जिसमें दृढ़ता से सहमत, सहमत, असहमत और दृढ़ता से असहमत जैसे विकल्प थे। जिनमें से सबसे उपयुक्त को दिए गए स्थान के सामने टिक मार्क देकर चुना जाना चाहिए।

6.3 विश्वसनीयता और वैधता

उपकरण की वैधता सुनिश्चित करने के लिए अन्वेषक ने शिक्षकों, छात्र शिक्षकों और शिक्षा के क्षेत्र के विशेषज्ञों से उपकरण में दिए गए कथनों के बारे में निर्णय प्राप्त करके विषय-वस्तु की वैधता का उपयोग किया। परीक्षण और क्रोनबैक की अल्फा विश्वसनीयता विधि द्वारा उपकरण की विश्वसनीयता 0.81 पाई गई।

7. डेटा विश्लेषण

तालिका-1: छात्र अध्यापकों में महिला अधिकारों के बारे में जागरूकता का स्तर

चर	N	प्रतिशत (%)
महिला अधिकारों के बारे में जागरूकता	295	83.12

तालिका-1 से पता चलता है कि छात्र अध्यापकों में महिला अधिकारों के बारे में जागरूकता का स्तर 83.12% है जो कि उच्च है।

तालिका-2: लिंग के आधार पर छात्र अध्यापकों में महिला अधिकारों के बारे में जागरूकता।

लिंग	N	औसत	S.D	t- value	टिप्पणी
पुरुष	120	81.70	7.9	2.44	Significant
महिला	175	85.41	6.0		

तालिका-2 से पता चलता है कि t- मान 2.44 है जो कि 0.01 स्तर पर महत्वपूर्ण है। इसलिए शून्य परिकल्पना "लिंग के संबंध में छात्र अध्यापकों में महिला अधिकारों के बारे में जागरूकता में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है" को अस्वीकार किया जाता है।

तालिका-3: विषय के आधार पर अध्यापकों की महिला अधिकारों के प्रति जागरूकता।

विषय	N	औसत	S.D	t- value	टिप्पणी
विज्ञान	163	81.44	8.7	2.04	Significant
कला	132	80.77	7.2		

तालिका-3 से पता चलता है कि टी-मान 2.04 है जो 0.01 स्तर पर महत्वपूर्ण है। इसलिए शून्य परिकल्पना "विषय के संबंध में अध्यापकों की महिला अधिकारों के प्रति जागरूकता में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है" को खारिज किया जाता है।

तालिका-4: इलाके के आधार पर अध्यापकों की महिला अधिकारों के प्रति जागरूकता।

इलाका	N	औसत	S.D	t- value	टिप्पणी
ग्रामीण	210	81.43	8.3	2.09	Significant
शहरी	85	80.47	7.7		

तालिका-4 से पता चलता है कि टी-मान 2.09 है जो 0.01 स्तर पर महत्वपूर्ण है। अतः शून्य परिकल्पना "स्थानीयता के संबंध में अध्यापकों की महिला अधिकारों के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है" को अस्वीकार किया जाता है।

तालिका-5: योग्यता के आधार पर छात्र अध्यापकों की महिला अधिकारों के प्रति जागरूकता।

योग्यता	N	औसत	S.D	t- value	टिप्पणी
यूजी	177	60.57	7.5	1.72	No Significant
पीजी	118	71.98	6.2		

तालिका-5 से पता चलता है कि टी-वैल्यू 2.06 है जो 0.01 स्तर पर महत्वपूर्ण है। इसलिए शून्य परिकल्पना "योग्यता के संबंध में छात्र अध्यापकों की महिला अधिकारों के प्रति जागरूकता में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है" स्वीकार की जाती है।

तालिका-6: आयु के आधार पर छात्र अध्यापकों की महिला अधिकारों के प्रति जागरूकता।

आयु	N	औसत	S.D	t- value	टिप्पणी
25 वर्ष से कम	184	70.83	7.4	1.89	No Significant
25 वर्ष से अधिक	111	81.65	7.5		

तालिका-6 से पता चलता है कि टी-वैल्यू 1.89 है जो 0.01 स्तर पर महत्वपूर्ण है। इसलिए शून्य परिकल्पना "आयु के संबंध में छात्र शिक्षकों की महिला अधिकारों के बारे में जागरूकता में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है" स्वीकार की जाती है।

8. अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष

- अध्यापकों में महिला अधिकारों के बारे में जागरूकता का स्तर 83.12% है, जो उच्च है।
- लिंग, विषय और स्थानीयता के संबंध में अध्यापकों में महिला अधिकारों के बारे में जागरूकता में महत्वपूर्ण अंतर है।

- योग्यता और आयु के संबंध में अध्यापकों में महिला अधिकारों के बारे में जागरूकता में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है।

छात्र अध्यापकों के संबंध में परिणामों पर ध्यान देने पर कुल मिलाकर वे महिला अधिकारों के बारे में उच्च जागरूकता रखते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हाल ही में हुई प्रगति ने महिला अधिकारों को वर्तमान समय के अध्यापकों के लिए एक महत्वपूर्ण योग्यता बना दिया है। इस अध्ययन में, परिणाम से पता चलता है कि जयपुर जिले के पुरुष छात्र अध्यापकों में महिला अधिकार महिला अध्यापकों की तुलना में अधिक हैं और विज्ञान छात्र अध्यापकों में कला छात्र अध्यापकों की तुलना में अधिक महिला अधिकार हैं और ग्रामीण छात्र अध्यापकों में शहरी छात्र अध्यापकों की तुलना में अधिक महिला अधिकार हैं। ऐसा उन कारणों के कारण हो सकता है, जिनमें महिलाओं के अधिकारों के बारे में अधिक दृष्टिकोण और ज्ञान है। निष्कर्षों से यह निष्कर्ष निकला है कि छात्र अध्यापकों में महिला अधिकारों में लिंग, विषय और स्थान के बीच महत्वपूर्ण अंतर है। इसके अतिरिक्त एक अन्य निष्कर्ष यह निष्कर्ष निकला है कि छात्र अध्यापकों में महिला अधिकारों में योग्यता और आयु के बीच महत्वपूर्ण अंतर है।

9. निष्कर्ष और सुझाव

वर्तमान में यद्यपि महिला अधिकार और कानून का ज्ञान छात्र अध्यापकों के लिए शिक्षा की अनिवार्य आवश्यकता है। वर्तमान पुस्तकों और पत्रिकाओं तक सीमित पहुँच और अद्यतन जानकारी प्राप्त करने में कठिनाई जैसे कारकों के कारण वे तेजी से महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं, जिसका परीक्षा प्रदर्शन और स्नातक होने के बाद काम पर प्रभाव पड़ सकता है। वर्तमान अध्ययन जयपुर जिले के आसपास के छात्र अध्यापकों में महिला अधिकारों के बारे में जागरूकता के स्तर में योगदान देता है। वर्तमान अध्ययन के दौरान पहचाने गए कारकों का उपयोग महिला अधिकारों में सुधार के लिए किया जा सकता है। आजकल तकनीक विकसित हो गई है। मल्टीमीडिया कार्यक्रमों में महिला अधिकारों के बारे में विज्ञापन, बहस, नाटक, वार्तालाप आदि दिखाए जाते हैं। इसलिए अध्ययन से लोगों को महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मुद्दे पर ध्यान देने में मदद मिलेगी, साथ ही छात्रों को महिला अधिकारों के बारे में जागरूकता विकसित करने और उनका आनंद लेने में मदद मिलेगी।

संदर्भ सूची

- भारत सरकार। (2021)। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* / मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
- भारती, कविता। (2019)। *भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति एवं अधिकार* / साहित्य भवन, आगरा।
- सिंह, रेखा। (2020)। *नारीवाद और महिला सशक्तिकरण* / प्रभात प्रकाशन, दिल्ली।
- मिश्र, अर्चना। (2018)। *शिक्षा और लैंगिक समानता* / शिक्षा पुस्तकमाला, वाराणसी।
- शर्मा, मधु। (2017)। *महिला अधिकारों के प्रति युवाओं की जागरूकता पर एक अध्ययन* / भारतीय



सामाजिक शोध पत्रिका, खंड 42, अंक 3।

- जैन, सविता। (2021)। नारी चेतना और संवैधानिक अधिकार/प्रकाशन संस्थान, जयपुर।
- राष्ट्रपति सचिवालय। (2018)। भारत में लैंगिक न्याय पर रिपोर्ट/भारत सरकार, नई दिल्ली।
- वर्मा, अनुराधा। (2019)। महिलाओं के संवैधानिक अधिकार और उनकी सामाजिक स्थिति/विमर्श पब्लिकेशन, लखनऊ।
- यादव, संगीता। (2020)। शिक्षा एवं महिला सशक्तिकरण: एक परिप्रेक्ष्य अध्ययन/शिक्षा संवाद, खंड 14, अंक 2।
- त्रिपाठी, संध्या। (2017)। छात्राध्यापकों में लैंगिक चेतना की भूमिका/भारतीय शिक्षक शिक्षा शोध जर्नल।
- पाठक, किरण। (2018)। भारतीय महिला आंदोलन और अधिकारों की स्थिति/क्लासिक बुक्स, दिल्ली।
- राष्ट्रीय महिला आयोग। (2020)। महिला सुरक्षा एवं अधिकारों पर वार्षिक रिपोर्ट/नई दिल्ली।
- शुक्ला, दीप्ति। (2019)। महिला अधिकार और वर्तमान भारतीय शिक्षा व्यवस्था/शैक्षिक दृष्टिकोण पत्रिका।
- सैनी, निर्मला। (2021)। नारी शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन/विकास प्रकाशन, मेरठ।
- विश्व बैंक। (2018)। भारत में लैंगिक समानता की दिशा में प्रगति रिपोर्ट (अनुवादित संस्करण)। नई दिल्ली।